35/IV

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 618872

फोटो- ओमशरण गुप्ता

सत्यापित

ट्रस्ट डीड

यह ट्रस्ट का विलेख आज दिनांक 31-10-2012 ई0 को श्री ओम शरण गुप्ता पुत्र स्व0 श्री विद्याराम आर्य निवासी- मुहल्ला मैनरोड, सिरसागंज, तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद संस्थापक/मुख्यट्रस्टी के द्वारा निम्नवत् बनाया गया है :-

1. *ट्रस्ट का नाम-* ओउम् एजूकेशनल ट्रस्ट
2. *ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय-* इटावा रोड, निकट सोथरा चौराहा, नगर सिरसागंज, तहसील- शिकोहाबाद, जिला- फिरोजाबाद (उ0प्र0)। (ट्रस्ट का कार्यालय ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है)

क्रमशः......2 पर

Created by Universal Document Converter
Scanned by CamScanner

रजिस्टर का क्रमांक ...42... दिनांक ...30-10-2012
...

श्री/श्रीमती ओमशरण गुप्ता
पुत्र/पत्नी श्री स्व० श्री शिवराम आर्य
पेशा खेती निवासी मु० मैनरोड सिरसागंज तह शिको०
तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
ने उपनिबन्धक
शिकोहाबाद फिरोजाबाद ने आज
दिनांक 31-10-12 को दिन के मध्य
12 बजे प्रस्तुत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
शिकोहाबाद
31-10-12

इस लेखपत्र के निष्पादन सुन व समझकर
...
श्री ओमशरण गुप्ता उक्त
ने स्वीकार किया।

जिनकी पहिचान श्री देवशरण आर्य
पुत्र श्री ओमशरण गुप्ता
निवासी मु० मैनरोड सिरसागंज
व श्री केदारसिंह
पुत्र श्री रामसहाय यादव
निवासी खिलराव तह शिको०
ने की।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
शिकोहाबाद 31-10-12

साक्षी शुद्ध प्रतीत होते है
अंगुष्ठ निशान नियमानुसार लिये गये है

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
शिकोहाबाद 31-10-12

Scanned by CamScanner
Created by Universal Document Converter

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

64AB 289739

3. ***<u>ट्रस्ट के शाखा कार्यालय</u>***- ट्रस्ट की शाखायें सम्पूर्ण भारत में विभिन्न स्थानों पर कहीं भी स्थापित की जा सकती है।

4. ***<u>ट्रस्ट में लगाया गया धन</u>***- इस ट्रस्ट को 10000/– दस हजार रुपया की धनराशि लगाकर संस्थापक/मुख्यट्रस्टी के द्वारा बनाया गया है।

5. ***<u>ट्रस्ट के तत्व</u>***- ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है। ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक है। ट्रस्ट का संस्थापक अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व आभार को आबद्ध करेगा। इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितकारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्थायी द्वारा विश्वासपूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति से स्वामित्व से आबद्ध होता है, जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार अथवा घोषित करता है। सम्पत्ति का स्वामी ऐसा आभार अन्य व्यक्तियों के हितार्थ एवं लाभार्थ स्वीकार अथवा घोषित करता है।

क्रमशः......3 पर

Omshwan

Scanned by CamScanner
Created by Universal Document Converter

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

64AB 289740

6. ***ट्रस्ट के उद्देश्य*** - ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

1. लोगों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्राकृतिक व राजनैतिक जागरुकता पैदा करना व उसे प्रसारित करना व प्रचारित करना।
2. भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास करना व बढ़ावा देना।
3. लोगों में बौद्धिक जानकारी बढ़ाने व सभी तरह की शिक्षा हेतु पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा शैक्षणिक विकास हेतु विद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों, डिग्री कालेजों, इंजीनियरिंग/तकनीकी अथवा कृषि संस्थाओं की स्थापना, कम्प्यूटर युक्त आधुनिक शिक्षा पद्धति से करना एवं उनका प्रबन्धन व संचालन करना।
4. गरीब व असहाय लोगों की सहायतार्थ व सेवार्थ मैडीकल, डेन्टल, फारमैस्टिक, नर्सिंग, मैनेजमेन्ट कालेज एवं डिस्पेन्सरीज क्लीनिक्स, हॉस्पीटल, खोलना, प्रबन्धन करना व संचालन करना।
5. केन्द्रीय या राज्य सरकारों के द्वारा स्वीकृति विश्वविद्यालयों या डीम्ड विश्वविद्यालयों को खोलना, प्रबन्धन करना व संचालन करना।

क्रमशः......4 पर

Created by Universal Document Converter
Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 64AB 289741

6. मानसिक या शारीरिक अक्षमता वाले गरीब तवकों के लोगों की आर्थिक मदद करने के लिए सेमिनारों व धार्मिक सम्मेलनों व खेलकूद व अन्य प्रकार की विभिन्न प्रतियोगितायें, फिल्मी शो या नाटक आदि आयोजित करना व उनका प्रबन्धन व संचालन करना।
7. गरीब विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप अथवा अन्य प्रकार की ग्रान्ट देना अथवा आर्थिक सहायता करना।
8. मानव कल्याण हेतु जनहित में कार्य करना।
9. युवक, युवतियों को रोजगारपरक व उच्च तकनीकी शिक्षा प्रदान करना।
10. समय-समय पर अन्य समाज सेवा जनहितकारी कार्य करना।
11. समान उद्देश्य वाली संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना एवं उनकी सहायता करना।
12. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं से अथवा लोगों से या जनप्रनिधियों से आर्थिक सहायता, अनुदान, दान, ऋण, सम्पत्ति आदि प्राप्त करना व खर्च करना।

क्रमशः.....5 पर

Created by Universal Document Converter
Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

64AB 289742

(5)

13. ट्रस्ट द्वारा अन्य वे सभी कार्य करना जो जनहित व संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हों।
14. देश, जाति, धर्म, स्थान, महिला-पुरुष, रंग आदि का भेद किये बिना छात्र-छात्राओं को स्टूडेन्टशिप, स्कॉलरशिप एवं अन्य प्रकार की सहायता जिसमें-पुस्तकें उपलब्ध कराना, शिक्षा के लिए मैडल या अन्य पुरस्कार देना शामिल है, प्रदान करना।
15. समस्त लोगों के प्रयोगार्थ पार्कों, ग्राउण्डों, बाग-बगीचों, जिमों, स्पोर्ट्स क्लबों, धर्मशालाओं एवं अतिथिशालाओं की स्थापना, प्रबन्धन व संचालन करना अथवा उन्हें मदद देना।
16. शारीरिक विकलांग या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना व प्रबन्धन एवं संचालन करना या उन्हें मदद देना।
17. निर्धन, अनाथ एवं निर्बल वर्ग के नागरिकों, वृद्धजनों, विधवाओं/विधुरों, अनाथ महिलाओं, निराश्रितों, अपंगों, विकलांगों आदि के कल्याणार्थ व हितार्थ कल्याणकारी योजनायें चलाना, कार्यान्वन व प्रबन्धन करना एवं लोगों का सर्वांगीण विकास करना।

क्रमशः.....6 पर

Ram Sharan

Created by Universal Document Converter
Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

64AB 289743

18. केन्द्रीय, राजकीय सरकार या विभिन्न संस्थाओं, सरकारी विभागों मंत्रालयों, संगठनों के वित्तीय सहयोग अनुदान/ऋण से चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्राप्त करना उनका क्रियान्वयन करना, चलाना व प्रबन्धन एवं व्यवस्था करना।

7. ***ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र***- सम्पूर्ण भारत वर्ष

8. ***ट्रस्ट का प्रबन्धन***- ट्रस्ट का प्रबन्धन, ट्रस्ट अधिनियम एवं उपरोक्त तत्वों के आधार पर निम्नलिखित प्रथम ट्रस्टियों के द्वारा किया जायेगा।

1. श्री ओम शरण गुप्ता पुत्र स्व0 श्री विद्याराम आर्य — मुख्यट्रस्टी/अध्यक्ष
   निवासी– मुहल्ला मैनरोड, सिरसागंज
   तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद
2. श्री केदार सिंह यादव पुत्र स्व0 श्री रामसहाय यादव — प्रबन्धक
   निवासी– ग्राम किसरांव, पोस्ट करहरा,
   तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद
3. श्री राकेश कुमार सक्सेना पुत्र श्री श्यामबिहारी सक्सेना — सचिव
   निवासी– मुहल्ला इटावा रोड, सिरसागंज
   तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद

Omsharan

क्रमशः......7 पर

Created by Universal Document Converter
Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

64AB 289744

4. श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री जिलेदार सिंह — कोषाध्यक्ष
निवासी– ग्राम किसरांव, पोस्ट करहरा,
तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद

5. श्री कमलेन्द्र सिंह पुत्र श्री विजय सिंह — लेखा परीक्षक
निवासी– मुहल्ला इटावा रोड, सिरसागंज
तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद

9. ***ट्रस्टियों की नियुक्ति का कार्यकाल-***

(अ) संस्थापक/मुख्यट्रस्टी आजीवन इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रहेंगे और उनकी मृत्योपरान्त उनके द्वारा नामित व्यक्ति या महिला इस ट्रस्ट की आजीवन मुख्य ट्रस्टी व अध्यक्ष होगी और यदि मुख्य ट्रस्टी द्वारा किसी को नामित नहीं किया जावे तो मुख्यट्रस्टी के उत्तराधिकारियों में से बड़ा जीवित पुत्र इस ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष होगा तथा पुत्र न होने पर या उसके अयोग्य होने पर स्त्री संतान में से बड़ी पुत्री इस ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी, अध्यक्ष होगी एवं मुख्य ट्रस्टी निःसन्तान हो तो उक्त प्रथम ट्रस्टियों के द्वारा बैठक करके सर्वसम्मति से मुख्य ट्रस्टी, अध्यक्ष अपने में से ही किसी को चुना जावेगा।

क्रमशः......8 पर

Umshoran

Created by Universal Document Converter
Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

64AB 289745

(ब) सभी ट्रस्टी आजीवन इस ट्रस्ट के सदस्य रहेंगे। किसी ट्रस्टी की मृत्यु के उपरान्त उसके द्वारा नामित उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट का ट्रस्टी होगा। उत्तराधिकारी में ट्रस्टी का सबसे बड़ा पुत्र और पुत्र न होने पर सबसे बड़ी पुत्री ट्रस्टी होगी।

(स) ट्रस्टी के वैधानिक या सामाजिक रूप से या नैतिक रूप से अयोग्य हो जाने पर मुख्य ट्रस्टी द्वारा निष्कासन करना या इस्तीफा देने अथवा मृत्यु हो जाने पर उक्त शेष ट्रस्टी बैठक करके नये ट्रस्टी की नियुक्ति करेंगे जिसका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

10. ***ट्रस्ट की धन सम्पत्ति आदि के प्रबन्ध व आय-व्यय सम्बन्धी कार्य-***

1. ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी/अध्यक्ष श्री ओम शरण गुप्ता व प्रबन्धक श्री केदार सिंह यादव व कोषाध्यक्ष श्री अरविन्द कुमार के संयुक्त हस्ताक्षर से ट्रस्ट के नाम का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा और उसका संचालन किन्हीं दो लोगों के द्वारा व उनके हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

क्रमशः......9 पर

Omsharan

Scanned by CamScanner
Created by Universal Document Converter

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

64AB 289746

2. ट्रस्ट में जनसामान्य अथवा जनप्रतिनिधि संस्था या संस्थान अथवा ट्रस्टी द्वारा दान, अनुदान एड या सहायतार्थ दी गई धनराशि बैंक में ट्रस्ट के नाम से खोले गये खाता में जमा की जायेगी और ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनहित में खर्च की जायेगी।
3. जनसामान्य या अन्य किसी के द्वारा ट्रस्ट के लिए कोई सम्पत्ति धन, अनुदान या सहायतार्थ दी जावे तो उसका लेखा जोखा ट्रस्ट में खोले गये खातों में किया जावेगा।
4. ट्रस्ट के संचालन हेतु आवश्यक खाते, रजिस्टर व अन्य बहियां जैसे- एजेण्डा वही, कार्यवाही रजिस्टर आदि खोले व रखे जावेंगे।
5. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य संस्थाओं के लिये आवश्यकता होने पर किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, ट्रस्टी, ट्रस्टी के मित्रगण या सगे सम्बन्धियों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण आदि की व्यवस्था करना।
6. यदि किसी कारणवश ट्रस्ट द्वारा कोई भी संस्था समाप्त होती है तो ऐसी स्थिति में संस्था की सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः निहित हो जायेगी।

क्रमशः......10 पर

Created by Universal Document Converter
Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

64AB 289747

11. ***ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं, शाखाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन व उनके सदस्य-***

1. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य संस्थाओं या शाखाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन मुख्य ट्रस्टी व अन्य ट्रस्टी मिलकर बहुमत से करेंगे।
2. प्रबन्ध समितियों के सदस्य व पदाधिकारी मुख्य ट्रस्टी व अन्य ट्रस्टी रहेंगे और यदि प्रबन्ध समिति का कोरम ट्रस्टियों की संख्या से पूर्ण न हो तो मुख्य ट्रस्टी एवं अन्य ट्रस्टी मिलकर बहुमत से किसी बाहरी व्यक्ति/व्यक्तियों को प्रबन्ध समिति में नामित व शामिल करेंगे।

12. ***ट्रस्ट की बैठक-***

1. ट्रस्ट की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी जिसकी सूचना प्रत्येक ट्रस्टी को बैठक की दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व सचिव द्वारा दी जावेगी। यह बैठक मुख्य ट्रस्टी के अनुमोदन से सचिव द्वारा बुलाई जावेगी।
2. आपातकालीन परिस्थितियों या ट्रस्टियों की संख्या में से 3/4 ट्रस्टियों द्वारा मांग रखने पर सचिव द्वारा मुख्य ट्रस्टी को सूचित कर ट्रस्ट की विशेष बैठक बुलाई जायेगी जिसकी सूचना 24 घण्टे पूर्व ट्रस्टियों को दी जावेगी।

क्रमशः.....11 पर

Shriram

Created by Universal Document Converter
Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

64AB 289748

13. ***गणिपूर्ति (कोरम)***-

1. साधारण बैठक (सभा) का कोरम ट्रस्टियों की कुल संख्या के 3/4 ट्रस्टियों की उपस्थिति से पूर्ण माना जावेगा।
2. विशेष बैठक (सभा) का कोरम ट्रस्टियों की कुल संख्या के 2/3 ट्रस्टियों की उपस्थिति से पूर्ण माना जावेगा। तथा उन्हीं के द्वारा बैठक (सभा) का अध्यक्ष चुना जावेगा।

14. ***ट्रस्टियों/पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य (दायित्व)***-

(अ) मुख्य ट्रस्टी (ट्रस्ट प्रमुख)/अध्यक्ष :-

1. ट्रस्ट की साधारण सभा की विषय सूची, सचिव की मदद से तैयार कराना।
2. ट्रस्ट की साधारण सभा बुलाना व उसकी अध्यक्षता करना।
3. पत्राचार करना एवं ट्रस्ट की संस्थाओं का निरीक्षण करना।
4. ट्रस्ट की उद्देश्य पूर्ति हेतु धन सम्पत्ति खर्च करना।

क्रमशः......12 पर

Scanned by CamScanner
Created by Universal Document Converter

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

64AB 289729

(ब) प्रबन्धक :–

1. बैंक खातों व ट्रस्ट के अन्य खातों, बहियों, रजिस्टरों को बनाना, रखना प्रबन्ध करना व बैंक खातों का संचालन कोषाध्यक्ष/अध्यक्ष के साथ करना। व बैठक में उपलब्ध कराना व लेखा परीक्षक से पास कराना।
2. ट्रस्ट की उद्देश्य पूर्ति हेतु धन सम्पत्ति खर्च करना।
3. ट्रस्ट की सम्पत्तियों की सुरक्षा व व्यवस्था करना।
4. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय या अन्य संस्थाओं का समय–समय पर निरीक्षण करना व उनका प्रबन्ध एवं उनकी व्यवस्था करना।
5. पत्राचार करना।

(स) सचिव :–

1. मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष व प्रबन्धक के सहयोग व अनुमोदन से ट्रस्ट की साधारण बैठक (सभा) बुलाना व उसकी सूचना सभी ट्रस्टियों को एक सप्ताह पूर्व देना अथवा सूचना देने हेतु व्यवस्था करना।

क्रमशः......13 पर

Scanned by CamScanner
Created by Universal Document Converter

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 64AB 289730

2. 3/4 ट्रस्टियों द्वारा मांग रखने पर ट्रस्ट की विशेष बैठक (सभा) बुलाना और उसकी सूचना अध्यक्ष व सभी ट्रस्टियों को 24 घण्टे के अन्दर देना या सूचना देने हेतु व्यवस्था करना।
3. ट्रस्ट की ओर से सभी प्रकार का पत्राचार करना।
4. बैठक (सभा) की कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर व अन्य आवश्यक रजिस्टर रखना व आवश्यकतानुसार इनमें प्रविष्टि करना।
5. ट्रस्ट की सम्पत्ति रजिस्टर व अन्य बहियां व खाते आदि रखना व उनमें प्रविष्टि करना। उन्हें समय-समय पर अध्यक्ष को दिखाना व पुष्टि/अनुमोदन कराना।
6. अंकेक्षक के मांगने पर सभी लेखा जोखा उपलब्ध कराना।
7. ट्रस्ट की बैठक (सभा) में पिछली कार्यवाही पढ़ना, सभा के विषयों को पढ़ना व सभा द्वारा उनकी पुष्टि कराना।
8. ट्रस्ट के लिए दान-चन्दा, सम्पत्ति, अनुदान की व्यवस्था करना उन्हें प्राप्त करना व रसीद देना।

क्रमशः......14 पर

Ramsharan.

Scanned by CamScanner
Created by Universal Document Converter

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

64AB 289731

9. ट्रस्ट की ओर से सभी अदालती कार्यवाही स्वयं करना या उसके लिए प्रतिनिधि अथवा वकील, बैरिस्टर, एडवोकेट नियुक्त करना, महनताना देना, रसीद प्राप्त करना व मुकद्दमा के लिए आवश्यक व्यय मुख्य ट्रस्टी के अनुमोदन से या स्वविवेक करना।
10. अन्य वे सभी कार्य करना जो ट्रस्ट व उसके उद्देश्यों की पूर्ति, हित, संचालन व व्यवस्था/प्रबन्धन के लिए उचित व आवश्यक हों।

(द) **कोषाध्यक्ष** :-

1. ट्रस्ट के लिए दान-चन्दा, अनुदान, सम्पत्ति प्राप्त करना व रसीद देना।
2. ट्रस्ट के धन को बैंक खाते में जमा करना अध्यक्ष की अनुमति से धन निकालना तथा ट्रस्ट व जनहित में व्यय करना।
3. ट्रस्ट के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना व उनमें प्रविष्ट करना।
4. ट्रस्ट के सभी लेखा जोखा को सचिव को देना व परीक्षक को उपलब्ध कराना।

क्रमशः.....15 पर

Ramsharan

Created by Universal Document Converter
Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 64AB 289732

(य) लेखा परीक्षक/अंकेक्षक :–

1. ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी के मार्ग दर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा एवं मुख्यट्रस्टी द्वारा अनावश्यक समझे जाने पर हटाया जा सकेगा। ट्रस्टी प्रमुख के मार्ग दर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु धन संग्रह व्यय किया जा सकेगा। लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय व्यय का हिसाब किताब का बराबर लेखा जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार आडिट आदि करवायेगा। संस्था के आय–व्यय वही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जांच हेतु मुख्यट्रस्टी के समक्ष प्रस्तुत करना।
2. लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सभी अभिलेखों व खातों का परीक्षण व निरीक्षण करेगा एवं वैधानिक रूप से अंकेक्षक/ऑडीटर से उसका आडिट करायेगा।
3. ट्रस्ट के आय–व्यय के व्यौरों को परीक्षा पश्चात् सत्र समाप्ति पर मुख्य ट्रस्टी/सचिव को सौंप देगा।

क्रमशः.....16 पर

Omsharan.

Created by Universal Document Converter
Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 64AB 289733

(र) सदस्यों/ट्रस्टियों के कर्तव्य व अधिकार :–

1. ट्रस्ट के सभी लेखा जोखा व रजिस्टरों एवं बहियों का अवलोकन मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से कर सकेंगे।
2. ट्रस्ट की सभी बैठकों में भाग लेकर उन्हें सफल बनाना। बैठकों में ट्रस्ट के हित सम्बन्धी निर्णय लेना व प्रस्ताव पास करना।

15. ***ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन***-

1. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिए प्रबन्ध समिति का चुनाव इन्हीं ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये मुख्यट्रस्टी चुनाव अधिकारी की नियुक्त करेगा।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/विद्यालय/महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिकार कर्तव्य निर्धारित प्रबन्धकीय योजना के अनुरूप होगे।
3. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/विद्यालय/महाविद्यालयों के संचालन के लिए प्रबन्ध समिति का गठन मुख्यट्रस्टी व ट्रस्टी मिलकर करेंगे तथा यदि प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं होती है तो मुख्यट्रस्टी व ट्रस्टी मिलकर अन्य बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित करेंगे।

क्रमशः.....17 पर

Omsharan.

Created by Universal Document Converter
Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

64AB 289734

4. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का चयन मुख्यट्रस्टी व ट्रस्टी मिलकर करेंगे। संचालित संस्थान/विद्यालय/ महाविद्यालय में निम्न पदाधिकारी होंगे।

(1) अध्यक्ष	एक
(2) उपाध्यक्ष	एक
(3) प्रबन्धक/सचिव	एक
(4) कोषाध्यक्ष	एक
(5) लेखा परीक्षक	एक
(6) निदेशक	दो
(7) सदस्य	चार

16. ***प्रतिवन्ध-***

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होगा।

Dnsharan.

क्रमशः......18 पर

Scanned by CamScanner
Created by Universal Document Converter

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 64AB 289735

3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

क्रमशः.....19 पर

Dusharan

Created by Universal Document Converter
Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 64AB 289736

(19)

6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे उनका पालन करेंगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
10. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हाँ तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम संख्या 1 से 10 तक स्वीकार हैं।

Omsharan'

हस्ताक्षर प्रबन्धक/निदेशक/सचिव

क्रमशः......20 पर

Scanned by CamScanner
Created by Universal Document Converter

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 64AB 289737

उपरोक्त ट्रस्ट का गठन दिनांक 31-10-2012 ई0 को साधारण जनता के हितों व लाभों के लिए किया गया है ट्रस्ट द्वारा मुख्य रूप से शिक्षा संस्थानों/डिग्री कालेजों का संचालन किया जाना, वृद्धों, निर्बलों, असहायों, विकलांगों, महिलाओं व अनाथ बच्चों की सहायता करना, रोगों के निवारण हेतु तत्परता दिखाना व चिकित्सालयों की स्थापना व रोगियों की देखभाल करना व ट्रस्ट सम्पत्तियों व भवनों का जीर्णोद्धार करने, निर्धन, कन्याओं के विवाह आदि करवाना व यथा समय निर्धनों को दान एवं समय-समय पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराना आदि उपरोक्त ट्रस्ट का उद्देश्य होगा। इस ट्रस्ट पर ट्रस्ट अधिनियम के समस्त प्राविधान लागू होंगे।

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्यट्रस्टियों द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी नाजायज दबाव के अपने पूर्ण होश हवाश में परिवारीजनों से सलाह मशवरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे। नोट- वर्तमान समय में ट्रस्ट के पास कोई चल या अचल सम्पत्ति नहीं है तथा ट्रस्ट का निर्माण --

क्रमशः.....21 पर

Created by Universal Document Converter
Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 64AB 289738

(21)

व्यक्तिगत हित के लिये नहीं किया गया है। लेखतिथि 31-10-2012 ई०।

मसौदाकर्ता- अमित बाबू अग्रवाल, दस्तावेज लेखक, तहसील शिकोहाबाद।

दस्तावेज लें० का नाम अमित बाबू अग्रवाल
अनुज्ञप्ति सं० 14 दि० 31-3-13 तक वैध
धन्य ली गई फीस
दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर

साक्षी- देवशरण आर्य पुत्र श्री ओमशरण गुप्ता
निवासी मुहल्ला मैनरोड, सिरसागंज।

साक्षी- केदारसिंह पुत्र स्व. श्री रामसहाय यादव
निवासी ग्राम खिरऊँव तहसील शिकोहाबाद।

Created by Universal Document Converter
Scanned by CamScanner

कार्यालय उप-निबन्धक शिकोहाबाद

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा–ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस

विक्रेता/क्रेता का नाम ओमप्रकाश गुप्ता

बायें (सीधे) हाथ के उंगलियों के चिन्ह :-

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठका

बायें (उल्टे) हाथ के उंगलियों के चिन्ह :-

कनिष्ठका	अनामिका	मध्यिका	तर्जनी	अंगुष्ठ

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम

बायें (सीधे) हाथ के उंगलियों के चिन्ह :-

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठका

बायें (उल्टे) हाथ के उंगलियों के चिन्ह :-

कनिष्ठका	अनामिका	मध्यिका	तर्जनी	अंगुष्ठ

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

Created by Universal Document Converter
Scanned by CamScanner

Date ..../........../..........

उपस्थिति दिनांक :- 06/09/2024

—×—×—

केदारसिंह

ओउम एजूकेशनल ट्रस्ट, इटवारोड, सिरसागंज की एक अति आवश्यक बैठक एवं ऐजेण्डानुसार वरिष्ठ ट्रस्टी/ प्रबंधक श्री केदार सिंह जी की अध्यक्षता में कोरम पूर्ण होने के साथ प्रारम्भ की जाती है.

प्रस्ताव सं० 1 :- पिछली कार्यवाही की पुष्टि पर विचार—

प्रस्ताव सं० 1 का निर्णय :- सदन में उपस्थित सचिव राकेश कु० सक्सैना ने सदन के समक्ष पिछली कार्यवाही पढ़कर सुनाई जो सर्वसम्मति से पारित की गयी.

प्रस्ताव सं० 2 :- संस्थापक/ मुख्य ट्रस्टी श्री ओमप्रकाश गुप्ता जी के आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 18/08/2024 के पश्चात् मुख्य ट्रस्टी/ अध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार—

—×—×—×—

प्रस्ताव सं० 2 का निर्णय :- सदन में उपस्थित सचिव राकेश कुमार सक्सैना ने सदन को अवगत कराते हुये प्रस्ताव रखा कि मुख्य ट्रस्टी/ अध्यक्ष महोदय के स्वर्गवास के उपरान्त उनके स्थान पर ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार मुख्य ट्रस्टी/ अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाना है, जिससे ट्रस्ट एवं विद्यालय "डिवाइन इन्टरनेशनल स्कूल" की व्यवस्था सुचारु रह सके। सचिव राकेश कुमार सक्सैना ने रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड दिनांक 31.10.2012 को पढ़कर सदन के समक्ष रखा. ट्रस्टियों की नियुक्ति एवं कार्यकाल ट्रस्ट डीड के बायलॉज क्रमांक 09 में वर्णित किया गया है. इसके अनुसार मुख्य ट्रस्टी/ अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु श्री देवप्रकाश पुत्र स्व० श्री ओमप्रकाश नि० मैनरोड, सिरसागंज की नियुक्ति किये जाने हेतु निर्णय लिया जाता है जिसे सर्वसम्मति से सभी ट्रस्टियों द्वारा पारित किया गया। ओउम एजूकेशनल ट्रस्ट, इटवारोड, सिरसागंज के मुख्य ट्रस्टी/ अध्यक्ष श्री देवप्रकाश होंगे

दिनांक ....

पृष्ठ संख्या (7)

प्रस्ताव सं० 3:- अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार—

प्रस्ताव सं० 3:- का निर्णय:- अन्य विषय

—x —x —

न होने के कारण आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है—

Kanchan Singh

जैपालसिंह

सचिव
ओ३म् एजूकेशनल ट्रस्ट
इटावा रोड,सिरसागंज (फिरो०) उ०प्र०